

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 1429] No. 1429] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 31, 2012/श्रावण 9, 1934 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 31, 2012/SHRAVANA 9, 1934

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2012

का.आ. 1728(अ).— यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 06 जून,2011 की सा.आ.सं. 1300 (ई) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपितयां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे: और

- 2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों /सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गयाः और
- यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानूपर्वक विचार करने के पश्चात दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को संशोधित करने का निर्णय तियाः और
- 4. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 11ए की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

जोन-'सी' में आने वाले धीरपुर फेज-। के निम्निलिखित क्षेत्र का भू-उपयोग निम्निलिखित विवरण के अनुसार है

क्र.	स्थान	क्षेत्रफल	भूमि उपयोग	प्रस्तावित भूमि उपयोग	सीमाएं
सं.		हैक्टेयर में	(दि.मु.यो2021)		
1,	जोन "सी" में धीरपुर फेज-।	20 हैक्ट.	आवासीय उपयोग	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (यूनीवर्सिटी केम्पस पीएस-।)	उत्तरः बाहरी रिंग रोड दक्षिणः आवासीय भू-उपयोग पूर्वः डीडीए भूमि पश्चिमः प्रस्तावित सुविधा केन्द्र

2.	जोन "सी" में धी रपुर फेज-।	25.38 हैक्ट.	आवासीय उपयोग	मनोरंजनात्मक डिस्टिंक पार्क (जल संचयन के लिए	उत्तरः गांधी विहार दक्षिणः नाता
				क्षेत्र)	पूर्व: गांधी विहार के लिए सम्पर्क
- -					सड़क
					पश्चिम: डीडीए भूमि

[फा. सं. के-13011/1/2011-डीडीआईबी] सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2012

S.O.1728(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 1300(E) dated 6th June, 2011 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11:A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice; and

- 2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and
- 3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021; and
- 4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The land use of the following area of Dheerpur Phase-I in Zone 'C' as per description listed below:—

SI. No.	Location	Area in Ha.	Land use (MPD-2021)	Land use changed to	Boundaries
1.	Dhreepur Phase-1 in Zone 'C'	20 ha.	Residential Use	'Public & Semi Public' (University Campus PS-1)	North: Outer Ring Road South: Residential land use East: DDA Land West: Proposed Facility Centre
2.	Dhreepur Phase-1 in Zone 'C'	25.38 ha.	Residential Use	Recreational 'District Park' (Area for water harvesting)	North: Gandhi Vihar South: Nala East: Approach Road to Gandhi Vihar West: DDA land

SUNIL KUMAR, Under Secy.